न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 122/2023

अनवान : –

1. ख्यालीराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मोमनराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. केसर पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल बरवाली तहसील नोहर।
3. चिड़िया पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी चौधरी बास तहसील हिंसार।
4. धाई पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी चौधरी बास तहसील हिंसार।
5. दाखा पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी किसन पुरा तहसील ऐलनाबाद।
7. सन्तरों पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी किसन पुरा तहसील ऐलनाबाद।
8. भतेरी उर्फ कृष्णा देवी पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी झोतड़ तहसील सिरसा।
9. अमरसिंह पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल मान खेड़ा पंजाब।
10. विधा देवी पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी बालासर तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मंगलिया तहसील सिरसा।
12. हनुमान राम पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मान खेड़ पंजाब।
13. छोटुराम पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मान खेड़ पंजाब।
14. सरोज पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी रिसालिया खेड़ा तहसील ऐलनाबाद।
15. जगदेवराम पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मान खेड़ा पंजाब।
16. सुमित्रा पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी बालासर तहसील नोहर।
17. राणी पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी रसालिया खेड़ा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

[illegible] राज

निर्णय दिनांक: 26/04/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:09 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 24/23 की कुल 5.5640 हैक्ट वादी व प्रतिवादीण संख्या 1 व बिदामी प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी व प्रतिवादी स0 1 की माता बिदामी के नाम दर्ज हुई। वादी की माता बिदामी पत्नी नोपाराम का देहान्त हो चुका है तथा बिदामी पत्नी नोपाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 17 है जो बिदामी पत्नी नोपाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीण संख्या 2 ता 17 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग बिदामी पत्नी नोपाराम के नाम दर्ज भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 17 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण बिदामी, सदस्य प्रमाण आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 की माता बिदामी पत्नी नोपाराम के नाम दर्ज है वादी की माता बिदामी पत्नी नोपाराम का देहान्त हो चुका है तथा बिदामी पत्नी नोपराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 17 है जो बिदामी पत्नी नोपराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 17 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 24/23 की कुल 5.5640 हैक्ट वादी व प्रतिवादीण संख्या 1 व बिदामी प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बिदामी पत्नी नोपाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता है बिदामी पत्नी नोपाराम का देहान्त हो चुका है तथा बिदामी पत्नी नोपाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 17 है जो की बिदामी पत्नी नोपराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 17 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक बिदामी पत्नी नोपराम के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 24/23 की कुल 5.5640 हैक्ट भूमि में बिदामी पत्नी नोपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक को 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/04/2024 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:09 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 122/2023
अनवान : –

1. ख्यालीराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोमनराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. केसर पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल बरवाली तहसील नोहर।
3. चिड़िया पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी चौधरी बास तहसील हिंसार।
4. धाई पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी चौधरी बास तहसील हिंसार।
5. दाखा पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी किसन पुरा तहसील ऐलनाबाद।
7. सन्तरों पुत्री बिदामी पत्नी नोपाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी किसन पुरा तहसील ऐलनाबाद।
8. भतेरी उर्फ कृष्णा देवी पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी झोतड़ तहसील सिरसा।
9. अमरसिंह पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल मान खेड़ा पंजाब।
10. विधा देवी पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी बालासर तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मंगलिया तहसील सिरसा।
12. हनुमान राम पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मान खेड़ पंजाब।
13. छोटुराम पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मान खेड़ पंजाब।
14. सरोज पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी रिसालिया खेड़ा तहसील ऐलनाबाद।
15. जगदेवराम पुत्र बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी मान खेड़ा पंजाब।
16. सुमित्रा पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी बालासर तहसील नोहर।
17. राणी पुत्री बाधो पुत्री बिदामी जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर हाल निवासी रसालिया खेड़ा।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 122 सन् 2023 निर्णय दिनांक – 26/04/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:09 IST
Reason: SelfAttested

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल, उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज्य प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 24/23 की कुल 5.5640 हैक्ट भूमि में बिदामी पत्नी नोपाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी स0 1 प्रत्येक को 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/04/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:09 IST
Reason: SelfAttested